# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

## पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

## पत्रावली संख्या : 20/19 (प्रा0पत्र)

## GCMS No. : 2019/00041

**अनवान्**

1. श्री युवराजसिंह पिता महेन्द्रसिंह नाबालिग बविलायत माता श्रीमती इन्दुकुंवर पत्नी महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी नान्दवेल हाल कल्याणपुरा रोड, धरियावद, तह. धरियावद।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री मोहनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. श्री भंवरसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी नान्दवेल हाल उदयसागर चौराहा शिव मन्दिर के पास उदयपुर।
3. उप पंजीयक अधिकारी, मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का नान्दवेल तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता विपक्षी।

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## –: : निर्णय : :–

**दिनांक : 21.11.2022**

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1553/657, 1622/657, 1623/657, 1624/657, 1625/657 किता 5 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1, 2 के नाम पर 1/5, 1/5 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1621/657, 1680/1559 किता 2 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1 के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।
2. यह कि पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

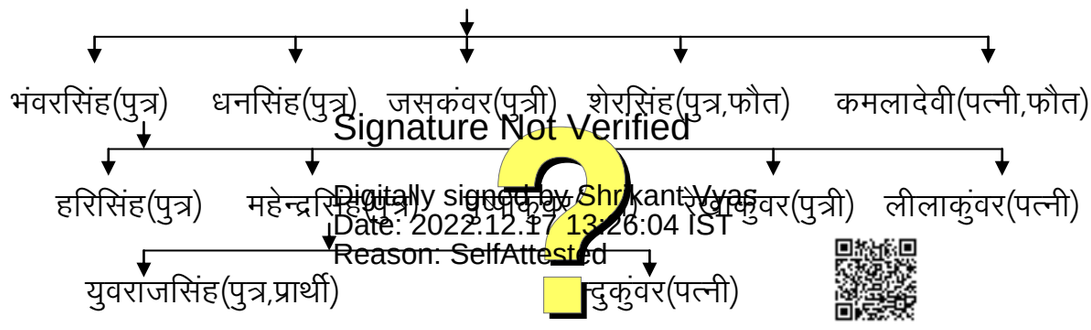


Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष देवीसिंह जी थे जिनके एक पुत्र मोहनसिंह (विपक्षी सं. 1) है तथा मोहनसिंह के तीन पुत्र भंवरसिंह (विपक्षी सं. 2), धनसिंह, शेरसिंह एवं पुत्री जसकंवर, पत्नी कमलादेवी हैं। शेरसिंह का निधन हो चुका है जिनकी वारिस पत्नी लीलाकुंवर हैं। कमलादेवी का निधन हो चुका है जिनके वारिस प्रार्थी, विपक्षी सं. 1, 2 एवं सजरे में वर्णित पक्षकारान वारिसान हैं। महेन्द्रसिंह का जायन्दा नाबालिग पुत्र युवराजसिंह प्रार्थी एवं विवाहिता पत्नी इन्दुकुंवर हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात जो पूर्व में मुझ प्रार्थी की परदादी कमलादेवी पत्नी मोहनसिंह राजपूत के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी जो कमलादेवी पत्नी मोहनसिंह राजपूत के देहावसान के पश्चात् उक्त भूमि उनके पति विपक्षी सं. 1 जो मुझ प्रार्थी के परदादा एवं पुत्र भंवरसिंह जो मुझ प्रार्थी के दादा है, पुत्र धनसिंह, पुत्री जसकंवर एवं पुत्रवधु लीलाकंवर बेवा शेरसिंह राजपूत के नाम पर विरासत से दर्ज हुई हैं तथा परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात जो पूर्व में हमारे मौरूस देवीसिंह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी जो देवीसिंह के देहावसान के पश्चात् उनके पुत्र मोहनसिंह जो मुझ प्रार्थी के परदादा है, के पुत्र भंवरसिंह, भंवरसिंह के पुत्र महेन्द्रसिंह का जायन्दा पुत्र होकर उपरोक्त कुलिया कृषि भूमि हमारी पैतृक सम्पति होकर मुझ प्रार्थी को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और विपक्षी सं. 1, 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं प्रार्थी अपने पिता महेन्द्रसिंह जी के हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित मुझ प्रार्थी की पैतृक सम्पति होकर मै प्रार्थी अपने हक हिस्सा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं लेकिन वर्तमान में मुझ प्रार्थी की हिस्सा भूमि विपक्षी सं. 1, 2 के नाम पर दर्ज हैं जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से विपक्षी सं. 1, 2 मुझ प्रार्थी को मेरे हक हिस्से की भूमि से वंचित करने की बदयान्ति से भूमाफियाओं के बहकावे में आकर कुलिया जमीन को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करना चाह रहे हैं। जबकि विपक्षी सं. 1, 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा भूमि को खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत कर दिया हैं।
5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस है कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये हैं। लेकिन उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जो भूमाफियाओं के बहकावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

में आकर मुझ प्रार्थी को मेरी हिस्सा भूमि से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकीया दे रहे है और जमीन खुर्द बुर्द करने की नियत से आये दिन मौके पर भूदलालों को लोकर जमीन दिखाकर सौदा करने पर आमादा हो रहे हैं जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मै प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी सं. 1, 2 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 11.03.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1, 2 ने अपने नाम अंकित कुलिया भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1, 2 प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी सं. 1, 2 अपने नाम दज भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। विपक्षी सं. 4 से 6 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1, 2 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार दस्तावेज पंजीयन कराने/नामान्तरकरण खुलाने हेतु पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खाले, न स्वीकृत करे, न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही करे, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त, अनुपस्थित हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1 के नाम राज्य सरकार द्वारा आवंटित हुई [illegible] व आवंटन के बाद विपक्षी सं. 1 खातेदार हो गया व उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर विपक्षी सं. 1 के नाम पर खातेदारी में दर्ज होकर अधिकार आधिपत्य विपक्षी सं. 1 की हैं। विपक्षी सं. 1 जो पेशे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

से ड्राईवर था व कभी भी एक्सीडेन्ट या अन्य दुर्घटना की मृत्यु कारित हो सकती थी इस कारण विपक्षी सं. 1 ने अपनी उम्र करीब 40 वर्ष में उक्त वर्णित आराजीयात अपनी पत्नी श्रीमती कमलादेवी पत्नी मोहनसिंह जी राजपूत के नाम पर बक्षीसनामा दिनांक 02.12.1972 को सम्पादित करवा कर अपनी पत्नी के नाम पर बक्षीस कर दी व कुछ समय पहले पत्नी श्रीमती कमलादेवी पत्नी मोहनसिंह जी राजपूत का देहान्त हो जाने से उक्त वर्णित आराजीयात अपने पुत्र व पुत्री व स्वयं के नाम पर 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ व विपक्षी सं. 1 के नाम पर 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ व विपक्षी सं. 2 के नाम पर भी 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ क्योंकि प्रार्थी अपनी माता इन्दुकुंवर जो महेन्द्रसिंह की पत्नी है, व महेन्द्रसिंह विपक्षी सं. 2 भंवरसिंह का पुत्र है व भंवरसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज है व भंवरसिंह का पुत्र महेन्द्रसिंह है व महेन्द्रसिंह का पुत्र प्रार्थी व बविलायत माता श्रीमती इन्दुकुंवर वारिस है यदि प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो अपने दादा भंवरहि जो विपक्षी सं. 2 है व जिसके नाम पर 1/5 हिस्सा दर्ज है उक्त 1/5 हिस्से मे से प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है विपक्षी सं. 1 जो देवीसिंह का पुत्र मोहनसिंह है व इनके नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है व मोहनसिंह विपक्षी सं. 1 जो करीब 90 वर्ष का है व विपक्षी सं. 1 के पुत्र भंवरसिंह, धनसिंह व शेरसिंह की वारिस लीला कुंवर ने विपक्षी सं. 1 ने अपने स्वअर्जित आय गांव नान्दवेल में अपना मकान बना रखा है उसमें उसके पुत्र व पुत्रवधुओं ने विपक्षी सं. 1 को घर से बाहर निकाल दिया, विपक्षी सं. 1 जो करीब 90 वर्ष का है व अक्सर बीमार रहता है व बीमारी के ईलाज हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से विपक्षी सं. 1 उक्त वर्णित आराजीयात में अपने 1/5 हिस्सा विक्रय करता है तो प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 को कोई एतराज नहीं होना चाहिए चूंकि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात जिसमें अपने पुत्र व पुत्रियों सभी का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है व अपने ईलाज हेतु उक्त 1/5 हिस्से पर बैंक से ऋण लेने व अपने हिस्से को रहन, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने का पुरा–पुरा व कानूनी अधिकार है व प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1 के नाम पर खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है व उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी देवीसिंह जो विपक्षी सं. 1 के पिता है उनके नाम पर दर्ज नहीं हुई, उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1 को सम्वत् 2039 में आवंटित होकर विपक्षी सं. 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ व विपक्षी सं. 1 के नाम पर ग्राम नान्दवेल सम्वत् 2039 में आंवटित हुई जिसका नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपी जवाब के साथ प्रस्तुत है, इसलिए परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात मौरूस देवीसिंह के नाम पर कभी भी दर्ज नहीं थी व देवीसिंह के देहावसान के पश्चात् उसके पुत्र विपक्षी सं. 1 मोहनसिंह के नाम पर दर्ज नहीं हुई, जो उक्त वर्णित आराजीयात विरासत की है, जबकि उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1 के स्वयं के नाम पर आंवटित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अधिकार आधिपत्य व कब्जे वाली जमीन है जिस पर प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 का कोई हक व अधिकार आधिपत्य नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 उक्त वर्णित आराजीयात को अपनी ईच्छा अनुसार उपयोग उपभोग कर सकता है, कानून द्वारा उसे न ही रोका जा सकता है उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति नहीं होकर विपक्षी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है इसलिए विपक्षी सं. 1 पर उक्त वर्णित आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थी को जन्म से कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है न ही प्रार्थी के पिता जी के नाम पर दर्ज हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी सं. 1 काबिज काश्त होकर खातेदार है इसलिए विपक्षी सं. 1 उक्त वर्णित आराजीयात को अपनी ईच्छा अनुसार उपयोग उपभोग व उक्त भूमि पर बैंक आदि से ऋण लेने एवं उक्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने का पूरा–पूरा अधिकारी हैं।

9. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पति नहीं होकर विपक्षी सं. 1 के नाम पर आंवटित हुई है व प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात पर कभी भी काबिज नहीं हुआ हैं न ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई हक व अधिकार नहीं है व प्रार्थी का हिस्सा जो विपक्षी सं. 2 जो प्रार्थी के दादा है व प्रार्थी के दादा के नाम पर परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में 1/5 हिस्सा जो विपक्षी सं. 2 के नाम पर दर्ज हैं उक्त हिस्से में से प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है किन्तु विपक्षी सं. 1 के नाम परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में 1/5 हिस्से में हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात जो विपक्षी सं. 1 की स्वअर्जित होकर उसके नाम पर आंवटित हुई है व आवंटन के बाद उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ है व उक्त वर्णित आराजीयात विरासत से नहीं होकर विपक्षी सं. 2 के नाम आज भी अंकित है व पूर्व में विपक्षी सं. 2 के नाम पर ही अंकित थी व उक्त वर्णित आराजीयात मूल पुरूष देवीसिंह के नाम पर कभी भी अंकित नहीं हुई, विपक्षी सं. 1 जो अभी 90 वर्ष का है उसे अपने पुत्र व पुत्र वधुओं द्वारा घर से बाहर निकाल देने के कारण अपनी पुत्री जसकुंवर के साथ निवास कर रहा हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार कोई भी पिता अपनी पुत्री के ससुराल में उसके ससुराल वालों के साथ उसके घर पर निवास नहीं करते है, किन्तु विपक्षी सं. 1 जो 90 वर्ष का है व उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है कोई पुत्र व पुत्रवधुए अपने ससुर विपक्षी सं. 1 को अपने साथ नहीं रखना चाहते व इन लोगों ने विपक्षी सं. 1 के साथ मारपीट कर गाली गलोच कर घर बाहर निकाल दिया इस कारण विपक्षी सं. 1 को मजबूरन बेमन से अपनी पुत्री जसकुंवर के साथ उसे ससुराल वालो के साथ निवास करने पर मजबूरन होना पड रहा है जिस पिता के पुत्र व पुत्रवधुए है उसके बाद भी अपनी पुत्री के साथ अपने ससुराल में निवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

करना पड रहा है, प्रार्थी व विपक्षी सं. 2 व अन्य पुत्र केवल विपक्षी सं. 1 के हिस्से व स्वअर्जित जमीन को हडपने व कब्जा करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 के हिस्से में कोई हक व हिस्सा नहीं है केवल मात्र विपक्षी सं. 1 को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है विपक्षी सं. 1 को परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में अपने 1/5 हिस्से व परिशिष्ट ब में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात का रहन, बैह, बक्षीस करने का पूरा–पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त है जबकि प्रार्थी को ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है कि विपक्षी सं. 1 को विक्रय करने से रोके। परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात पैतृक कृषि भूमि नहीं होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को विक्रय करने का पूरा–पूरा अधिकार प्राप्त हैं।

10. यह कि प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति है जिसमें प्रार्थी को विपक्षी सं. 1 के हक हिस्सा जन्म से प्राप्त नहीं होता है। उक्त वर्णित भूमि परिशिष्ट अ में वर्णित विपक्षी सं. 1 का 1/5 हिस्सा व परिशिष्ट ब में वर्णित सम्पूर्ण भूमि विपक्षी सं. 1 की स्वअर्जित भूमि है उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 अपने हिस्से को विक्रय करने का पूरा–पूरा अधिकारी हैं। परिशिष्ट अ में अंकित आराजीयात में 1/5 हिस्सा व परिशिष्ट ब में वर्णित सम्पूर्ण हिस्से की भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है व विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर सकता है, इसलिए प्रार्थी विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है व प्रार्थी से विपक्षी सं. 1 के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में 1/5 हिस्से पर अपना हक हिस्सा प्राप्त कर सकता है विपक्षी सं. 1 से कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। यदि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो जाती है तो विपक्षी सं. 1 को होने वाली क्षति रूपयो पैसों से नही आका जा सकता हैं तथा अशोधनीय क्षति का बिन्दू विपक्षी सं. 1 के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी विपक्षी सं. 1 के विरूद्व किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं।

11. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा व विपक्षी सं. 2 भंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत व उसकी पत्नी श्रीमती गीता पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत द्वारा विपक्षी सं. 1 मोहनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी नान्दवेल को ग्राम नान्दवेल पटवार हल्का मावली में आराजी नम्बर 1621/657 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1679/1554/654 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के विपक्षी सं. 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी की होकर खातेदार काश्तकार के विरूद्व धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 05.08.2003 को हुआ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें विपक्षी सं. 1 के पक्ष में निर्णय हुआ विपक्षीगण को वादी के खातेदारी ग्राम नान्दवेल की उक्त वर्णित आराजीयात पर जो रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि में किसी प्रकार का दखलन्दाजी नहीं करने की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में जारी हुई जिसका निर्णय व डिक्री भी दिनांक 25.08.2003 को जारी की गई जिसमें प्रार्थी के दादा व दादी को उक्त वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है यदि उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि होती तो प्रार्थी के दादा व विपक्षी सं. 2 उक्त वर्णित आराजीयात में अपना हक व हिस्से की घोषणा करवा सकते थें।

12. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि का बक्षीसनामा विपक्षी सं. 1 द्वारा दिनांक 02.12.72 को अपनी पत्नी श्रीमती कमलादेवी के नाम पर सम्पादित करवाया व बक्षीसनामा (दानपत्र) केवल स्वअर्जित सम्पति का ही किया जा सकता है यदि उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक होती तो विपक्षी सं. 2 उस समय भी एतराज कर सकता था।

13. यह कि परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात ग्राम नान्दवेल के नामान्तरकरण सम्वत् 2039 में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज हुआ व उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ तभी से उक्त वर्णित आराजीयात पर विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होकर उक्त वर्णित आराजीयात पर हक अधिकार एवं आधिपत्य विपक्षी सं. 1 का है यदि उक्त भूमि पैतृक सम्पति होती तो प्रार्थी के मूल पुरूष देवीसिंह के नाम पर परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात अंकित होती और उनके फौत हो जाने के बाद विपक्षी सं. 1 के नाम पर अंकित होती जो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये केवल मात्र झुठे एवं मिथ्यों तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान बहस सुनी गई।

14. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2004(1) Page 590, RRT 2009(1) Page 141, RRT 2015(1) Page 139, RRT 2016(2) Page 1084 पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

15. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

1. <u>*प्रथम दृष्टया मामला–*</u> पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट अ की भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 एवं 2 के नाम 1/5, 1/5 एवं परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाने का निवेदन किया। अतः वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. <u>*सुविधा का संतुलन–*</u> प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. <u>*अपूरणीय क्षति*</u>– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हैं, परन्तु प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

16. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी की पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रार्थी के दादा एवं परदादा विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर दर्ज हैं। प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 व 2 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 व 2 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 व 2 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थी अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। इसलिए विपक्षी सं. 1 व 2 को बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। वादग्रस्त आराजीयात बाबत् पूर्व में दिनांक 18.03.2019 से विपक्षीगण के विरूद्व न्यायालय हाजा से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

17. प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए हैं। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वयं अपनी पत्नी को दान देने का कथन अपने जवाब दावे में किया हैं व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14, 15, 16 के तहत् एक हिन्दू महिला की संपति का न्यायगमन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् उसके वारिसानों में होगा। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested

चस्पा होती हैं। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल की आराजी नम्बर 1553/657, 1622/657, 1623/657, 1624/657, 1625/657 किता 5 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1621/657, 1680/1559 किता 2 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, प्रार्थी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(श्रीकान्त व्यास)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:04 IST
Reason: SelfAttested